२५।५।२५ पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. इन्तजार तामील पत्रावली दिनांक ७।८।२५ को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

७।८।२५ पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. इन्तजार तामील पत्रावली दिनांक २२।८।२५ को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

२२।८।२५ पत्रावली पेश हुई वकील वादी व अप्रार्थी क्र. ②, ④, ⑦ की ओर से विनोद चौधरी हाजिर। शेष अप्रार्थीगण को सम्मन जारी हुए को एक माह से अधिक का समय हो चुका है। सम्मन अदम तामील लौटकर प्राप्त नहीं हुए। अतः तामील सम्यक मानी जाती है। सम्यक तामील के उपरान्त अप्रार्थी क्र. ①, ③, ⑤, ⑥, ⑧, ⑨ हाजिर नहीं। इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी का जवाब बंद किया जाता है। बहस प्रा. पत्र पर उभयपक्षों की सुनी गई। बहस सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि के खातेदार हैं एवं विवादित भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद की बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय-वस्तु को बनाए रखने के लिए प्रा. पत्र के चरण स. ② में उल्लेखित भूमि पर उभयपक्षों को तात्कालिक मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली कैलेण्डर मुताबिक होकर दर्ज नम्बर लेकर पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)